न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 09 / 2026(GCMS 2026/20)

श्री खेमचन्द पुत्र श्री ताराचन्द निवासी 6–एन, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94146 28414)

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री खेमचन्द स्वयं उपस्थित हुए और कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2025 से तहत तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ से आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी और निरीक्षण करवाने का भी अनुरोध भी किया गया था। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध नही करवाई गई और न ही उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवाया गया है। इसलिए अपीलार्थी ने लिखित बहस पेश कर, वांछित सूचना उपलब्ध करवाने एवं रिकॉर्ड कर निरीक्षण करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री खेमचन्द ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. श्री सरफूद्दीन पुत्र श्री अल्लादीन को कस्बा सूरतगढ़ में आंवटित 45 बीघा भूमि / खसरा नं. 272 / 3 में 30 बीघा व खसरा नं. 487 / 4 में 15 बीघा जो अस्थाई काश्त हेतु आवंटित की गई थी, के सम्बन्ध में माननीय कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्रांक सीजी / वाचक / 22 / 1083 दिनांक 05.08.2022 के संदर्भ में आपके कार्यलय पत्रांक भू.अ. / 2022 / 4512 दिनांक 27.10.2022 के साथ पटवारी हल्का कस्बा सूरतगढ़ की कुल 11 बिन्दुओं पर रिपोर्ट भिजवाई गई है। कृपया आपके उक्त पत्रांक भू.अ. / 2022 / 4512 दिनांक 27.10.202 व इसे संलग्न पटवारी रिपोर्ट व अन्य अनुसंलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें। माननीय कलक्टर, श्रीगंगानगर के उक्त पत्र दिनांक 05.08.2022 की प्रति भी कृपया उपलब्ध करवायें।
2. दिनांक 27.10.2022 से पूर्व या इसके बाद भी उपरोक्त ग्यारह बिन्दुओं पर आपके कार्यालय द्वारा श्री शरफूद्दीन को आवंटित उक्त टी.सी. भूमि के सम्बन्ध में माननीय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को रिपोर्ट प्रेषित की गई है, उन रिपोर्टस की प्रमाणित प्रतियां भी प्रार्थी को कृपया उपलब्ध करवायें।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3. माननीय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर कार्यालय के पत्रांक सीजी/19/687 दिनांक 10.07.2019 की पलाना में पटवारी हल्का सूरतगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 31.11.2019 जो माह नवम्बर 2019 में ही कार्यालय तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा माननीय जिला कलक्टर को प्रेषित की जा चुकी है, उसकी प्रमाणित प्रति (तहसीलदार, सूरतगढ के पत्र सहित) कृपया प्रार्थी को उपलब्ध करावें। .....
4. मेरे पिताजी श्री ताराचन्द पुत्र श्री लिखमीचन्द ... कस्बा सूरतगढ़ में खसरा नम्बर 272/3, 487/1 व 487/2 में आवंटित कुल 35 बीघा टी.सी. कृषि भूमि हेतु संवत 2046 (सन् 1989) से संवत 2052 (सन् 1995), संवत 2055(सन् 1998), एवं संवत 2028 (सन् 1971) से संवत 2045 (सन् 1988) तक की अवधि के लिए जमा करवाये गये मालकाना की रसीदों की कार्यालय प्रति, काउंटर फाईल्स की प्रमाणित प्रतियां व इन्ही वर्षों के ढाल की प्रमाणित प्रतिया भी कृपया प्रार्थी को उपलब्ध करावें।
5. मेरे पिताजी श्री ताराचन्द पुत्र श्री लिखमी चन्द निवासी सूरतगढ को सूरतगढ़ कस्बा में खसरा नम्बर 272/3, 487/1 व 487/2 में आवंटित कुल 35 बीघा पर टी.सी. कृषि भूमि के सम्बन्ध में माननीय कलक्टर, श्रीगंगानगर कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/19/781 दिनांक 25.07.2019 स्मरण पत्र .... के माध्यम से कुल 11 बिन्दुओं पर वही सूचना जो बिन्दु संख्या 1 पर उल्लेखित श्री शरफुद्दीन की भूमि से सम्बन्धित है, मानीय तहसीलदार, सूरतगढ़ से माननीय कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा चाही गई थी। उक्त पत्रों की पालना में तहसीलदार, सूरतगढ़ कार्यालय से जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित सूचना की प्रमाणित प्रतियां कृपया प्रार्थी को उपलब्ध करावें।

----

6. उक्त 35 बीघा कृषि भूमि हेतु आपके कार्यालय से जारी पड़त नं. 4 पड़त काश्तकार (पट्टे) पर माननीय तहसीलदार द्वारा आयुक्त महोदय बीकानेर के आदेश सं. 8844-88 दिनांक 20.03.73 के अनुसार संवत 2030 (सन् 1973) के लिए आवंटन का नवीनीकरण किया गया है। इसीतरह श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के अदेश क्रमांक राजस्व/85/5440-50 दिनांक 10.04.88 के अनुसार संवत 2044 (सन् 1987) व संवत् 2045 (सन् 1988) के लिये आवंटन का नवीनीकरण किया गया है। कृपया उक्त दोनों आदेशों एवं टी.सी. भूमियों के नवीनीकरण हेतु समय समय पर श्रीमान् आयुक्त, बीकानेर श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर या अन्य सक्षम स्तर से सन् 1971 से आदिनांक तक तहसीलदार सूरतगढ कार्यलय में प्राप्त आदेशों की प्रतिया प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सम्बन्धित पत्रावली जिसमें तहसील, सूरतगढ़ में प्राप्त ऐसे नवीनीकरण के आदेशों को संलग्न किया गया है, उस पत्रावली का भी प्रार्थी को निरीक्षण/अवलोकन करवाने की कृपा करें।

7. माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपील एलआर नं. 3560/श्रीगंगानगर, 2020 स्टेट में अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 24.02.2021 को निर्णय पारित किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 462/4 (रकबा 12.650 हैक्टेयर) भूमि जो वर्ष 1974 में राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई) कृषि पट्टा शर्त 1955 के तहत आवंटित की गई थी, उक्त भूमि की 10 प्रतिशत राशि अपीलार्थीगण से जमा करवाते हुए अपीलार्थीगण के पक्ष में संबंधित नियम राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18(1) की पालना करते हुए खातेदारी प्रदान की जाये। इस कार्यवाही हेतु तहसीलदार, सूरतगढ़ को आदेशित किया गया है।

.....

8. राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के परंतुक के अनुसार "व्यक्ति, जिसको भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में अस्थाई खेती पट्टा धारक या स्थाई आवंटिती के रूप में आवंटित की गई थी और ऐसा क्षेत्र बाद में उपनिवेशन क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया गया था, का 01.01.2001 से पूर्व उक्त भूमि पर निरंतर कब्जा है, जो ऐसा व्यक्ति राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अधीन लागू अधिकतम सीमा तक इन नियमों के अधीन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा।

.....

इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/26/181 दिनांक 29.01.2026, 513 दिनांक 11.03.2026 **(स्मरण पत्र–1)** एवं 1751 दिनांक 13.04.2026 **(स्मरण पत्र–2)** से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को अपील का जवाब भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु उनके द्वारा आदिनांक तक अपील का जवाब प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 09 / 2026
(GCMS No. 2026/20)
खेमचन्द बनाम तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया हो, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा प्रार्थना पत्र का प्रार्थी को कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ **को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि आदेश प्राप्त होने के 03 दिवस में, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें।** आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं **अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर